तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3951/2004/टोंक हर्षवर्धन सिंह (मृतक) जरिए वारिसान बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित–

श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री शांति प्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.09.2025

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या–20/2003 बउनवानी हर्षवर्धन बनाम सहायक वन संरक्षक, टोंक में पारित निर्णय दिनांक 01–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि सहायक वन संरक्षक, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 21–02–2000 से प्रार्थी को ग्राम गोविन्दपुरा में स्थित विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 34 व 27 रकबा 10 बीघा से वन विभाग की भूमि मानते हुए बेदखल करने के आदेश पारित कर दिए जबकि उक्त भूमि अहमद अली पुत्र मोहम्मद मियां की खातेदारी भूमि रही है जिसे प्रार्थी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17–07–1980 से उचित प्रतिफल प्रदान करते हुए क्रय किया गया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबंध अहमद अली की खातेदारी भूमि का रकबा कम कर देने के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है जबकि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा राज्य पक्ष एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध नियमित वाद सहायक कलक्टर, उनियारा के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वादपत्र के साथ प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रदान कर रखे है। उक्त स्थिति के बावजूद भी प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही विधिविरूद्ध तरीके से की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि खसरा नंबर 34 अस्तित्व में नहीं है क्योंकि उक्त खसरा नंबर के नए खसरा नंबर 268 एवं 266/422 बन चुके थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की स्थिति को ध्यान में रखे बिना केवल मात्र प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3951/2004/टोंक हर्षवर्धन सिंह (मृतक) जरिए वारिसान बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

को तंग व परेशान करने की नियत से तमाम कार्यवाही की जा रही है। चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा अपने अधिकारों के सुरक्षार्थ सक्षम न्यायालय में घोषणा एवं दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगरानी को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध की गयी धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी इकरारनामें के आधार पर क्रय की गयी है और प्रार्थी वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमी की हैसीयत से ही काबिज रहा है। वन विभाग की भूमि को कब्जे के आधार पर नियमन नहीं किया जा सकता है। सरकारी भूमि पर काबिज होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि न्यायालय अतिक्रमियों को राहत देती है तो अतिक्रमण की घटनाएं बढेगी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही समवर्ती निर्णयों के माध्यम से सहायक वन संरक्षक, टोंक के आदेश दिनांक 21–02–2002 की पुष्टि की है जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध सहायक वन संरक्षक, टोंक द्वारा विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 34 व 27 रकबा 10 बीघा जिसमें खसरा नंबर 34 के हाल खसरा नंबर 268 एवं 266/422 बने है के बाबत् भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली/शास्ती के आदेश दिनांक 21–02–2002 को जारी किए गए थे। उक्त संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की गयी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं होकर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहा है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी जैर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय नहीं किया गया है वरन् पत्रावली पर तीन इकरारनामों की छायाप्रतियां प्रस्तुत है। उक्त इकरारनामों में विवादित भूमि का कहीं अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी प्रकट नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा किया गया हो। आराजी जैर का स्वरूप वनभूमि होने के आधार पर एवं उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहने के कारण ही प्रार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली/शास्ती के आदेश प्रदान किए गए है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही सहायक वन संरक्षक, टोंक के आदेश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3951/2004/टोंक हर्षवर्धन सिंह (मृतक) जरिए वारिसान बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

21–02–2002 की पुष्टि की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी हस्तगत् निगरानी याचिका के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा प्रार्थी की निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः निगरानी संख्या 3951/2004 बउनवानी हर्षवर्धन सिंह (मृतक) जरिये वारिसान बनाम सरकार को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर की जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य